टेलीग्राम पर जारी रहेगा प्रतिबंध केंद्र का फैसला उचित : हाईकोर्ट

कहा, सरकार को ऑनलाइन जानकारी तक जनता की पहुंच रोकने का हक

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट-पूजी की फिर से होने वाली परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह उचित करार दिया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनाए फैसले में कहा, यह कदम गैर-जरूरी या जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं था, क्योंकि यह पैसेजिंग एप पर कई पैनल पर सामग्री को ऑटोमेटेड तरीके अपने आप तेजी से फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 39 पन्नों के फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 69ए के तहत पैसेजिंग एप पर लगाई अस्थायी पाबंदी को बरकरार रखा। जस्टिस नेजम काजिया की अवकाशकालीन पीठ को मुख्यतः दो सवालों पर विचार करना था, पहला, क्या सरकार का यह आदेश बिना सोचे-समझे लिया गया था और दूसरा, क्या टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंदिक करना आनुपातिक कार्रवाई के सिद्धांत के अनुकूल था?

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई जा सकती है रोक

फैसले में संवैधानिक कानून के साथ सरकार या किसी भी अधिकृत अधिकारी को किसी मध्यस्थ संस्थान से बिना पहले गए, सूचना, संचालन या होस्ट किए गए किसी भी विवरण को ब्लॉक करने का निर्देश देने का अधिकार है।

- कहते सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना भारत की संप्रभुता व अखंडता, देश, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या किसी संज्ञेय अपराध को बढ़ावा देने से रोकने के लिए जरूरी है।

केवल लंबित कदम उठाना पर्याप्त नहीं : कोर्ट ने कहा, किसी विशेष चैनल या समूह को हटाने के बाद भी टेलीग्राम पर आसानी से नए या मिरर चैनल बनाए जा सकते हैं। पुराने सब्सक्राइबर्स को इन नए चैनलों में जोड़कर गैर-कानूनी गतिविधियां दोबारा शुरू की जा सकती हैं। ऐसे में केवल कुछ चैनलों, ग्रुप्स या अकाउंट्स को हटाने जैसे लंबित कदम पर्याप्त नहीं हैं। इसमें एंक्रिप्टेड चैनलों का दुरुपयोग करके यह दिखाया जा सकता है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो गया था। इससे छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

कांगड़ा के टैक्सी चालक की तीन करोड़ की लॉटरी लगी

कल्याण चंद ने बठिंडा में खरीदी थी टिकट

फतेहपुर (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा की फतेहपुर तहसील निवासी और पेशे से टैक्सी चालक कल्याण चंद ने की किस्मत ऐसी चमकी कि वे रातों-रात करोड़पति बन गए।

टैक्सी चालक कल्याण चंद।

कल्याण चंद ने बताया कि वे पिछले 2021 से लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। पिछले साल बठिंडा के एक विक्रेता की टिकट पर बड़ा इनाम लगा। 15 से 16 हजार रुपये थी। सबसे छोटे के टिकट बठिंडा गए कल्याण चंद ने पहले 500-500 रुपये की दो लॉटरी टिकटें खरीदी थीं।

अपनी Skin को हानिकारक कैमिकल्स नहीं आयुर्वेद की सुरक्षा दें

सिर्फ हल्दी, चंदन ही नहीं "रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम" में है एलोवेरा, द्राक्षा, तुलसी और मुलेठी जैसे अन्य 12 जड़ी बूटियों का अद्वितीय संतुलित मिश्रण, जो आपके चेहरे की त्वचा को भीतर से निखारने एवं चमकदार बनाने में अति सहायक है।

Clinically Tested

New Dr. Juneja's रूप मंत्रा

Ayurvedic Face Cream & Face Washes

Helpful in protection from Pimples • Dull Skin Scars • Wrinkles

24x7 Helpline: 87259 66666 • www.roopmantra.com

सरहद पार का संघर्ष खत्म, हरियाणा आए 350 शरणार्थी बने भारतीय

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत मिली भारत की नागरिकता, 300 हिंदू व 50 सिख शरणार्थी भी शामिल

आशीष शर्मा

चंडीगढ़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलने के बाद बेहतर और सुरक्षित जीवन की तलाश में हरियाणा पहुंचे सैकड़ों परिवारों का वर्षों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू होने के बाद हरियाणा में अब तक 350 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है।

सरहद पार का अनिश्चितता और असम्मान का दर्द झेलने वाले इन लोगों के लिए नागरिकता महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्थायी पहचान का अधिकार है। नागरिकता पाने वालों में करीब 300 लोग पाकिस्तान से और 50 लोग अफगानिस्तान से आए हैं। इनमें 80 फीसदी हिंदू और 20 फीसदी समुदाय से संबंध रखते हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देशभर में सीएए लागू किया था। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के सदस्यों को नागरिकता दी जाएगी बशर्ते वे यह साबित कर सकें कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं।

उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारत में केवल छह वर्ष तक रहना या काम करना होगा। इस कानून के तहत हरियाणा नागरिक पंजीकरण के निदेशक की ओर से शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी जाती है। हरियाणा के 200 और शरणार्थी हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है।

200 और हरियाणा में रह रहे शरणार्थियों ने किया नागरिकता के लिए आवेदन अप्लाई

नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाती है। पूरी प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसमें एक शर्त यह भी है कि 2014 से पहले आए शरणार्थियों को ही नागरिकता मिलेगी।

- ललित जैन, निदेशक नागरिक पंजीकरण हरियाणा

फरीदाबाद, फतेहाबाद व सिरसा में 90 फीसदी बसे हैं शरणार्थी

दो साल में जिन 350 शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी गई है उनमें 90 फीसदी लोग फरीदाबाद, फतेहाबाद व सिरसा में आकर बसे हैं। सिरसा में करीब 150, फरीदाबाद में 100, फतेहाबाद में 30, अंबाला में 20 और बाकी सभी जिलों में बस गए हैं। अधिकारी बताते हैं कि इन सभी के रिश्तेदार पहले से ही इन क्षेत्रों में बसे थे इसलिए ये लोग भी इन जिलों में आकर बस गए। लंबे समय से भारत में निवास कर रहे इन परिवारों को नागरिकता मिलने के बाद अब ये लोग भारत व हरियाणा की सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।

ट अध्यर्थियों के लिए 21 जून को विशेष रेलगाड़ियों का संचालन

रेलवे ने 21 जून को नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए गाड़ियों की घोषणा की है। इन ट्रेनों परीक्षार्थियों को समय पर ट्रेनों तक पहुंचाना है। यह वापसी सुविधा प्रदान करेंगी। रेल चर्यों के अनुसार, अमृतसर-लुधियाना और फिरोजपुर-ा रूट पर ये ट्रेनें चलेंगी। सख्या 04666 अमृतसर से 9:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी। यह बजे लुधियाना पहुंचेगी। यह जालधर सिटी, फगवाड़ा और र होते हुए जाएगी। वापसी में ट्रेन 04665 लुधियाना से शाम 7:20 बजे चलकर रात 10:05 बजे अमृतसर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04667 लुधियाना से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:10 बजे अमृतसर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04668 अमृतसर से शाम 7:40 बजे चलकर रात 10:10 बजे लुधियाना पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04670 फिरोजपुर कैंट से सुबह 7:45 बजे रवाना होगी। यह तलवंडी, मोगा, अजीतवाल, जगराव और मुल्लांपुर होते हुए जाएगी। सुबह 11 बजे यह लुधियाना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04669 लुधियाना से शाम 7 बजे चलकर रात 9:30 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी। संवाद

10 दिन बाद पाकिस्तान से लौट आया 518 श्रद्धालुओं का जत्था

अमृतसर। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरुपर्व पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर 518 भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते वतन लौट आया। अटारी सीमा पर धार्मिक संगठनों और उनके परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

COURT NOTICE
(U/o 5 Rule 20 CPC)
HE COURT OF Ms. Navjot Kaur
il Judge Jr. Div., Chandigarh
OUR ENTERPRISES PVT LTD
Vs. SUNNY SHARMA
CNR No. CHCH02-002715-2023
Next Date: 20-07-2026
ICATION ISSUED TO:
Y SHARMA Son :- ASHWANI
MA H.NO 100 SECTOR 28-A
DIGARH
above titled case, the defendant
spondent(s) could not be served.
ordered that defendant (s)/
dent (s) should appear in person
ugh counsel on 20-07-2026 at
a.m.
ails logon to
highcourtchd.gov.in/?trs=district
&district=Chandigarh

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा कार्यालय : एसएमएम शाखा, एससीओ 58-59, तीसरी मंजिल बैंक मन्नाबर, सैक्टर-17 बी, चंडीगढ़-160017
Mob. 9982768600 E-mail ID: samvbchanzo@centralbank.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट-IV-ए, [नियम 8(6) के प्रावधान को देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान सहित पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूतित ऋणदाता) के पास रहन/प्रभारित अधोनिर्दिष्ट अचल संपत्ति/संपत्तियां जिसका सांकेतिक कब्जा जोकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूतित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, इसकी बिक्री "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" एवं "जो भी है वहां है आधार" पर निम्न निर्दिष्ट ऋणकर्ताओं व गारंटरों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूतित ऋणदाता)की देय राशि की वसूली के लिए 09.07.2026 को अप.02.00 से अप. 4.00 बजे के मध्य की जाएगी। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा (ईएमडी) की जानकारी संबंधित संपत्तियों के प्रति प्रदर्शित है।

शाखा-तनावग्रस्त परिसंपत्तियां प्रबंधन (एसएएम) शाखा, चंडीगढ़, मोबाईल : 9982768600,
E-mail ID: samvbchanzo@centralbank.co.in

ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) एवं शाखा का नाम व पता	संपत्ति/प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण एवं संपत्तियों का पालिक	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि	आरक्षित कीमत / ईएमडी राशि
		कब्जा सूचना की तिथि	बोली वृद्धि राशि
(1) ऋणकर्ता: मैसर्स शांति एग्रो फूड्स प्रा. लि. निदेशक : (1) श्री साहिल वर्मा ; (2) श्री बिशम्बर लाल पंजी. कार्यालय पोल्ट्री एरिया, नीलोखेड़ी जिला करनाल	लॉट सं.-(1) श्रीमती सत्या रानी के नाम से न्यू ग्रेन मार्केट, एसबीआई शाखा के सामने, नीलोखेड़ी, जिला करनाल में स्थित दुकान सं.-22 गज। श्रीमती सत्या रानी पत्नी श्री बिशम्बर लाल के नाम में बिक्री विलेख सं. 1099 दिनांक - 4-11-2009 द्वारा न्यू ग्रेन मार्केट, एसबीआई शाखा के सामने, नीलोखेड़ी जिला करनाल में स्थित 104.88 वर्गगज माप की दुकान सं. 22 । सीमाएं - उत्तर-29'-6" सड़क; दक्षिण-29'-6" दुकान सं.-22 का शेष भाग, पूर्व- 32 फुट दुकान म - 23 पश्चिम- 32 फुट सड़क	23-11-2020 Rs. 41,89,35,078 + ब्याज एवं अन्य खर्च 09.06.2022 से 28.02.2025 (सांकेतिक)	Rs. 47,61,000/- Rs. 4,76,100/- Rs. 1,00,000/-

गारंटर :-(1)श्री बिशम्बर लाल वर्मा पुत्र श्री हंस राज वर्मा; (2) श्री साहिल वर्मा पुत्र श्री बिशम्बर लाल वर्मा ; (3) श्रीमती सत्या रानी पत्नी श्री बिशम्बर लाल वर्मा

ई-नीलामी की तिथि 09.07.2026 को अप. 02:00 बजे से अप.04:00 बजे के बीच 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ वॉलेट में ईएमडी जमा 04.07.2026 (अप 02:00 बजे से अप. 04.00 बजे)

संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि: 25.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे से अप. 03:00 बजे के बीच।

इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट https://baanknet.com पर पंजीकरण करेंगे और अपने केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी राशि ईएमडी वॉलेट में जमा की जाएगी। खरीदार/बोलीदाता को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके बैंकनेट पोर्टल में लॉगिन करना होगा।

उपरोक्त संपत्ति पर भार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है -
- दुकान की जमीन का सीमांकन का प्रकरण है।
- यहां लगभग 700.00 लाख रु. का राज्य सरकार का शुल्क है।
- केन्द्रीय सरकार का शुल्क भी बकाया है। एवं ई-नीलामी "जैसे है जहां है" के आधार पर करायी जा रही है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट देखें, यानी https://www.centralbankofindia.co.in या विक्रेता वेब पोर्टल https://baanknet.com

दिनांक: 20.06.2026 स्थान: चंडीगढ़ अधिकृत अधिकारी

पंजाब सरकार

निविदा संदर्भ सं.:- ई-निविदा सूचना सं. 23/टीआईसी दिनांक- 17-06-2026

विषय : नगर निगम चंडीगढ़, एस.ए.एस. नगर 01 कार्य हेतु बोली आमंत्रित करना है।

अंतिम तिथि व समय : बोली प्रस्तुतीकरण जमा करने की अंतिम तिथि : 02.07.2026 को शाम 16:30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय : 03.07.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे।

विस्तृत जानकारी हेतु लॉगिन करें : http://www.eproc.punjab.gov.in

नोट : इस निविदा सूचना का कोई भी शुद्धिपत्र केवल इसकी वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

विषय अधिकारी, नगर निगम, एस.ए.एस. नगर

कार्यालय छावनी परिषद कसौली
Office of the Cantonment Board Kasauli
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Defence, Govt. of India
Office of the Cantonment Board Kasauli Solan HP-173204
Email id: cboksauli-state@nic.in, Website: kasauli.cantt.gov.in, Phone: 01792-273020
संख्या सीबीके./वि./3/कुनाट शाखा- 1121 18 जून 2026

सार्वजनिक सूचना

विषय: छावनी कार्ड द्वारा सार्वजनिक बाजारों में दुकानों के आवंटन संबंधी प्रारूप नियम 2026 के संबंध में सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण एवं सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा "छावनी कार्ड द्वारा सार्वजनिक बाजारों में दुकानों के आवंटन संबंधी प्रारूप नियम, 2026" के प्रारूप (Draft Rules) को राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.आर 9 (ई) दिनांक 10.06.2026 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, ताकि इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत सरकार द्वारा तिथि से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत आपत्तियों अथवा सुझावों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। यह भी अधिसूचित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे निदेशक (Q&C), रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली - 110011 को संबोधित करना है। यह सार्वजनिक सूचना उन सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है जो उक्त नियमों से प्रभावित हो सकते हैं, ताकि वे इन नियमों पर विचार कर निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकें।

उक्त सार्वजनिक सूचना तथा प्रारूप नियम छावनी कार्ड कसौली की आधिकारिक वेबसाईट www.kasauli.cantt.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
(सम्पदा)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर (हि.प्र.)-174001
All India Institute Of Medical Sciences, Bilaspur (HP) 174001
Website : https://aiimsbilaspur.edu.in | E-mail : dean.exam@aiimsbilaspur.edu.in
No. AIIMS/BLS/EXAM/

Advertisement Notice For Ph.D. Program (July' 2026 Session)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में Ph.D. Program (July' 2026 Session) (पीएचडी) करने हेतु 04 सीटों के लिए 19.06.2026 से 13.07.2026 तक 05:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन खुले हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://www.aiimsbilaspur.edu.in पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।

S.No.	Description	No. of Seats
1	Application Form For Ph.D. Program (July' 2026 Session)	04

Note : Visit https://www.aiimsbilaspur.edu.in to download the detailed advertisement and application proforma. Last date to fill the ONLINE APPLICATION FORM is 13.07.2026, till 17:00.

Sd/- Dean (Examination)
AIIMS-Bilaspur (H

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग